| हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। जवाब प्रति प्रार्थना पत्र मय फर्द दस्तावेज पेश, प्रति दिलायी। शा०का० पत्रावली वास्ते बहस दि. 30/10/25 को पेश हो। [signature] 28/08/25 | नि. संतोष बाई रीडर/क.लि. |
| 30/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 11/12/25 को पेश हो। [signature] 30/10/25 | |
| /25 पत्रावली पेश हुई। बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन का निवेदन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्र०का० दिनांक 23/12/25 को पेश हो। [signature] 11/12/25 | |
| /25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का [illegible] किया गया। धारा-212 RT Act [illegible] O. 39 R. 1&2 [illegible] का adjudicate करने के लिये [illegible] बिन्दुओं पर परखना आवश्यक है:- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया ग्राम टाबलाखीचीं तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म |
|---|---|---|
| | | |

खाता सं० 6 किता 2 कुल रकबा 2.7695 hect भूमि प्रार्थीगण, अप्रार्थी एवं 9 अन्य व्यक्तियो की सह खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। जिसमे प्रार्थीगण का क्रमश: 1/6 व 1/36 हिस्सा दर्ज है। उभय पक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि वादग्रस्त आराजी मूलत: कचरूलाल धोबी के खाते दर्ज थी जो फौती इंतकाल से दो पुत्रो कालूलाल, धन्नालाल पिसरान कचरूलाल के नाम दर्ज हुई। कालूलाल के फौत होने तीनो पुत्रो - जगन्नाथ, मांगीलाल व गणपतलाल हिस्से 1/6-1/6 तथा धन्नालाल के फौत होने पर विरासत से नारायण, शंकर व भुवाना के हिस्से 1/6-1/6 दर्ज हुई थी। भुवाना के फौत होने पर विरासत से पुत्र रामलाल हिस्सा 1/6 दर्ज हुआ। इसी प्रकार मांगीलाल वल्द कालूलाल के फौत होने पर विरासत मे प्रार्थी क्रम 2 छोटेलाल व अन्य वारिसान के खाते हिस्सा 1/36-1/36 दर्ज हुआ। उभयपक्ष इस तथ्य (fact) पर सहमत है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार (Joint Hindu family) की शामलाती पैतृक आराजी है। जिसमे से एक सह-खातेदार / सहदायिकी (Co-parcener) रामलाल द्वारा अपना हिस्सा 1/6 का रजिस्ट्री से बैचान प्रार्थीया क्रम 1 सतोषबाई को ~~सहदायिक~~ करने से सहखातेदार दर्ज हुई है।

[illegible] प्रार्थी[illegible] का कथन है कि वादग्रस्त शामलाती (सहदायिकी) [illegible] सहदायिकी के मध्य oral family settlement [illegible] वर्षों से मौके पर बटवारा होकर सभी अपने-2 हिस्सो पर मेड़ बनाकर (खेत बनाकर) काबिज काश्त चले आ रहे है जबकि आम० अप्रार्थीगण का कथन है कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख व हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| | वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि है जिसे संयुक्त रूप से काश्त किया जा रहा है। खातेदारान के मध्य कोई भी written or oral family settlement कभी नहीं हुआ है। कभी भी विधिक बंटवारा भी नहीं हुआ है। प्रार्थिया 1 ने शामलाती भूमि में से हिस्सा 1/6 क्रय किया है और एक stranger purchaser बिना खाता विभाजन कराये किसी भाग विशेष पर कब्जा/प्रवेश नहीं कर सकता है।<br><br>वादग्रस्त आराजी Joint Hindu family की शामलाती भूमि है और प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे सभी सहखातेदारों या पूर्वजों के मध्य कोई भी family settlement हुआ है। family settlement द्वारा शामलाती भूमि का बंटवारा होकर पृथक-पृथक भागों पर पृथक-पृथक काबिज होना भी जाहिर नहीं होता है। प्रार्थीया क्रम 1 पूर्व में कभी सहखातेदार दर्ज नहीं रही अतः प्रार्थीया एक अजनबी क्रेता (stranger purchaser) है और अजनबी क्रेता को बिना खाता विभाजन कराये किसी भाग पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। माननीय Revenue Board ने अपने कई निर्णयों में सहदायिकी संपत्ति में अजनबी क्रेता को बिना खाता विभाजन कराये प्रवेश लेने [illegible] अवैध अभिनिर्धारित किया गया है।<br><br>वादग्रस्त भूमि ख0नं0 286 रकबा 0.6323 हैक्टे0 किस्म बारानी प्रथम में राजस्व रिकार्ड में कोई गै0मु0 चाह (कुंआ) दर्ज नहीं है और ना इसकी | (4) |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहवाल हुक्म में |
|---|---|---|
| | किस्म गै०मु० चाह दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा पेश photographs से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी ख०नं० 286 में सिंचाई स्रोत के रूप में एक कुआं बना हुआ है। यदि Recorded कुआं (चाह) है तो सभी सहखातेदारान का समान हक व अधिकार निहित माना जायेगा। सिंचाई का अधिकार सभी काश्तकारों का अधिकार है जो u/s 5(19) of the RT Act के अधीन एक improvement है। किसी जलस्त्रोत से पानी लेना एक सुखाधिकार भी है (To access a water source such as a well or stream or pond etc is an easementary Right under the Indian Easement Act 1882)<br><br>जहाँ तक Right of pre-emption का प्रश्न है। The Hindu Succession Act 1956 की धारा-22 में Right of pre-emption के तहत किसी हिन्दू की संयुक्त संपत्ति में किसी एक सहखातेदार/सहदायिकी द्वारा अपने हिस्से का बेचान किये जाने की स्थिति में first Right of buy अन्य सहदायिकी/सहखातेदारों का होगा, ना कि किसी अजनबी क्रेता का। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया अजनबी क्रेता है जबकि अप्रार्थीगण पूर्व से ही सहखातेदार दर्ज होने एवं सहदायिक होने से वादग्रस्त शामलाती भूमि में first Right to by buy the share of a co-[illegible] bhawana रखते थे। [illegible] प्रार्थीगण के आधार [illegible] एवं सुविधा का संतुलन [illegible] आंशिक [illegible] से प्रार्थीगण के पक्ष में और आंशिक रूप से प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित है। | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
| --- | --- |
| (अ) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी 2 अजनबी क्रेता नहीं होकर अप्रार्थीगण के साथ पूर्व से ही विरासत से संयुक्त हिन्दू आराजी में सह-खातेदार दर्ज है और प्रत्येक भाग पर समान हक व अधिकार रखते है। केवल प्रार्थीया 1 ही अजनबी क्रेता है। यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थी 2 को शामलाती कुंए से सिंचाई (right to access water from well) से वंचित करते है तो प्रार्थी 2 को अपूरणीय क्षति कारित हो सकेगी।<br><br>उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.O. 39 R1&2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसलामूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी 2 को कुंए से सिंचाई के अधिकार से वंचित नहीं करे। प्रार्थीया 1 बिना खाता विभाजन के जबरन प्रवेश नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न करे।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)<br><br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner